संख्या-228/2019/4436/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 18 अक्टूबर 2019

विषय: **मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 लोकायुक्त द्वारा निर्देशित/विचाराधीन व अन्य विभिन्न प्रकरणों में छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2368/स0क0/ शिक्षा-अ/2/156/2019-20, दिनांक-24.09.2019 एवं पत्रांक-2366/स0क0/ शिक्षा-अ/2/179/2019-20, दिनांक-24.09.2019, पत्रांक-2616-17/स0क0/शिक्षा-अ/1317/2018-19, दिनांक-11.10.2019, पत्रांक-1065/स0क0/शिक्षा-अ/1051/2019-20, दिनांक-03.07.2019, पत्रांक-1771-73/स0क0/शिक्षा-अ/1106/2019-20, दिनांक-14.08.2019, पत्रांक-1916/स0क0/शिक्षा-अ/2/मा0लो0आ0-पार्ट-।।/2019-20,दिनांक-26.8.2019 एवं पत्रांक-2182/स0क0/शिक्षा-अ/2/1218/2019-20, दिनांक-12.8.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रकरणों में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति शासनादेश संख्या-223/2019/4237/26-3-2019, दिनांक-14.10.2019 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

धनराशि लाख में

क्रमसं0	**रिट याचिका से सम्बन्धित प्रकरण/अन्य संदर्भ**	**देयता का संक्षिप्त विवरण**	**वांछित धनराशि**
1	रिट याचिका संख्या-2976/ 2017 शांती निकेतन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बिजनौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।	याची संस्था में वर्ष 2015-16 के 38 अनुसूचित जाति छात्रों के सापेक्ष शुल्क प्रतिपूर्ति के अन्तर की देयता के सम्बन्ध में।	18.87156
2	रिट याचिका संख्या-2968/ 2017 श्रीराम इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन, बिजनौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।	याची संस्था में वर्ष 2015-16 के 31 अनुसूचित जाति छात्रों के सापेक्ष शुल्क प्रतिपूर्ति के अन्तर की देयता के सम्बन्ध में।	15.39617
3	रिट याचिका संख्या-23947/ 2019 रितिका राव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत पारित मा0 उच्च न्यायाल, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-18.09.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	याची छात्रा सुश्री रितिका राव की वर्ष 2018-19 की बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के सम्बन्ध में।	0.8600
4	रिट याचिका संख्या-34935/2018	याची संस्था में अध्ययन प्राप्त	1.12040

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	सांई कालेज आफ एजूकेशन, महोबा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-12.10.2018 व दिनांक-25.10.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	अनुसूचित जाति के 02 छात्र श्री हरीश चन्द्र वर्मा व श्री कमलेश कुमार की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	
5	रिट याचिका संख्या-34650/ 2018 विश्वेसरैया ग्रुप आफ इंस्टीट्यूट, गौतमबुद्धनगर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-03.12.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	याची संस्था में वर्ष 2015-16 के 18 अनुसूचित जाति छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	13.4967
6	मा0 लोकायुक्त, उ0प्र0 लखनऊ में विचाराधीन श्री होतीलाल, जनपद-फिरोजाबाद के तीन पुत्र एवं पुत्रियों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	संध्या गौतम की वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0-65,125/- चन्द्रकान्त की वर्ष 2014-15 की धनराशि रू0-29,400/- एवं संघरत्ना की वर्ष 2014-15 की धनराशि रू0-35400/- की देयता के सम्बन्ध में।	1.65325
7	बी0एड0 छात्रा कु0 संजू पुत्री श्री बंगाली प्रसाद, संस्था चानमती एजूकेशनल एण्ड टीचर्स टेनिंग इन्स्टीट्यूट गायत्री नगर लालगंज, कूड़ाघाट, जनपद-गोरखपुर की वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	बी0एड0 छात्रा कु0 संजू पुत्री श्री बंगाली प्रसाद, संस्था चानमती एजूकेशनल एण्ड टीचर्स टेनिंग इन्स्टीट्यूट गायत्री नगर लालगंज, कूड़ाघाट, जनपद- गोरखपुर की वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	0.56020
		योग	**39.03725**

(रू0-उनतालीस लाख तीन हजार सात सौ पच्चीस मात्र)

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-228/2019/4436/(1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in